



कृषि अनुसंधान केन्द्र
श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
फतेहपुर-शेखावाटी 332 301
जिला : सीकर (राजस्थान)

M. 9461541032
zdr.fatehpur@sknau.ac.in

क्रमांक : एफ() / लेखा / कृ.अ.के. / एफटीआर / 2017 / 1204 दिनांक 5.09.2017

निविदा सूचना

कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी के फार्म पर रबी 2017-18 की विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन, हिस्सा आधारित खेती लगभग 15-20 हैक्टेयर क्षेत्र में करवाने हेतु निविदाएँ दिनांक 25.09.2017 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र 100/- रुपये केशियर को नगद जमा करवाकर कार्यालय समय प्रातः 10.00 से 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा जमा कराते समय कुल धरोहर राशि 7500/- का 2% (3000/-) शेष निविदा पक्ष में छुटने पर 3%(4500/-) नगद जमा करवानी होगी। निविदा दिनांक 25.09.2017 को दोपहर बाद 2.00 बजे कमेटी के समक्ष खोली जायेगी। इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा। उक्त निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.sknau.ac.in, sppp.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय में देखा जा सकता है।

B. Harman
क्षेत्रीय निदेशक (अनु०)

कृषि अनुसंधान केन्द्र
श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
फतेहपुर-शेखावाटी 332 301
जिला : सीकर (राजस्थान)

बीज उत्पादन रबी फसलें – वर्ष 2017-18 हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदाएँ।

1.	निविदा की कीमत	100रु प्रति निविदा
2.	निविदा संदर्भ	निविदा प्रपत्र हिस्सा आधारित खेती(रबी2017-18)
3.	निविदा प्रपत्र	सलंगन (निविदा प्रपत्र मय निविदा शर्तें।
4.	निविदा प्राप्त करने का समय	कार्यालय कार्य दिवस में सुबह10.00 से सांय 5.00 बजे तक
5.	निविदा कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि	25.09.2017 दोपहर बाद 1.00 बजे तक
6.	निविदा खोलने की तिथि	25.09.2017 दोपहर बाद 02.00 बजे तक
7.	निविदा खोलने का स्थान	कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी, सीकर
8.	पत्र व्यवहार हेतु पता	क्षेत्रीय निदेशक (अनुसंधान) कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी, सीकर- 332301

नोट:- धरोहर राशि / अमानत राशि निविदा फार्म के साथ नगद / बैंक ड्राफ्ट द्वारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जमा करवायी जा सकती है।

कृषि अनुसंधान केन्द्र
(श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
फतेहपुर-शेखावाटी, सीकर (राज0)

निविदा प्रपत्र

हिस्सा आधारित खेती :-

1.	योजना का नाम: बीज उत्पादन रबी फसलें - वर्ष 2017-18 हिस्सा आधारित खेती	
2.	बजट मद: रिवोल्विंग फंड, रबी 2017-18	
3.	कार्य की अनुमानित अवधि: 6 माह (एक सीजन)	
4.	धरोहर राशि की प्रकृति व राशि: नगद/बैंकर चैक/डी.डी राशि रूपये 7500/- (3000+ 4500 शर्त बिन्धु 22 के अनुसार) निविदा फार्म की कीमत : रूपये 100/-	
5.	निविदा खोलने की दिनांक व समय :- 25.09.2017 दोपहर: 2.00 बजे	
6.	निविदादाता : कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य व शर्तों का विवरण :	
कॉ0सं	बोई जाने वाली फसल का नाम	उत्पादन में ठेकेदार द्वारा दर्शाया जाने वाला हिस्सा (प्रतिशत)
1.	जौ	
2.	गेहूँ	
3.	मेथी	
4.	तारामीरा	
5.	सरसों	

नोट: (ठेकेदार को थ्रेसिंग कार्य स्वयं को करना होगा। तथा चारा भी ठेकेदार का होगा। ऐसी स्थिति को मध्यनजर रखते हुए अपना हिस्सा दर्शायें।)

निविदा की शर्त :-

1.	ट्रेक्टर संबन्धित कार्य डिस्क प्लाउ, हेरों, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, उर्वरक ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जायेगी एवं इस प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।
2.	बीज उपचार एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले खाद, उर्वरक, फॅफूदनाशक का छिडकाव निविदादाता को करना होगा। बीज, कीटनाशक, कल्चर एवं छिडकाव की मशीन की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी।
3.	बुवाई से फसल थ्रेसिंग व उत्पादन को तोलकर स्टोर में रखवाने तक की प्रक्रिया का श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करना होगा।
4.	विभिन्न शस्य क्रियाये फार्म प्रबन्धक के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सम्पूर्ण श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे व फसलों को खरपतवार मुक्त रखना होगा।
5.	बीज उत्पादित रबी फसल 2017-18 हिस्सा आधारित खेती से बंटवारे के बाद कृषि उपज मंडी के 7 दिन के औसत भाव की दर पर 10 प्रतिशत अधिक कोन्ट्रेक्टर को उसके हिस्से के उत्पादन का भुगतान कर दिया जायेगा अथवा निविदानुसार बीज हिस्सा अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कोन्ट्रेक्टर को दिया जायेगा। उत्पादित बीज को रखने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
6.	निराई गुड़ाई, फसल कटाई, थ्रेसिंग आदि कार्य व थ्रेसिंग उपरान्त इक्कठा करना, ढेर लगाना आदि कार्य मौसम की स्थिति अनुसार निविदादाता को फार्म प्रबन्धक की आज्ञानुसार करने होंगे, व कटी हुई फसल के ढेर को वर्षा होने पर तिरपालों से ढकना होगा। निराई गुड़ाई तथा कटाई में उपयोग होने वाले औजार ठेकेदार के होंगे।
7.	कोन्ट्रेक्ट खत्म होने/फसल पकने पर फार्म से लिया गया फब्वारा सेट व अन्य कृषि उपकरण स्टोर में जमा करवाने होंगे।

8.	फसल थ्रेसिंग उपरान्त उत्पाद को खलिहान से गोदाम तक लाने हेतु ट्रैक्टर ट्राली केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। थ्रेसिंग मशीन की व्यवस्था कोन्ट्रेक्टर द्वारा स्वयं को करनी होगी तथा थ्रेसिंग का भुगतान भी ठेकेदार को करना होगा। तथा चारे के ले जाने का अधिकार ठेकेदार का होगा।
9.	थ्रेसिंग मशीन की व्यवस्था फार्म प्रभारी / फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी। थ्रेसिंग के समय क्षति कम से कम हो। अगर थ्रेसिंग के समय क्षति अधिक होगी तो फार्म मैनेजर द्वारा थ्रेसिंग के कार्य को रोका जा सकता है।
10.	फसल में रोगिंग (अवांछित पौधे हटाना)का कार्य फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञानुसार निविदादाता को ही करना होगा।
11.	पम्प व ट्यूब वैल मोटर ओपरेषन कार्य इनकी देखरेख व रखरखाव पाईप रिसाव आदि कार्य निविदादाता को ही करना होगा। इसका विधुत बिल भुगतान केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
12.	प्रस्तावित निविदा पत्र क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी, सीकर को मय निविदा के विवरण लिफाफे के उपर लिख कर प्रस्तुत करनी होगी।
13.	दर शब्दों व अंकों में लिखे। किसी भी प्रकार की कांट छांट अथवा फिर से ठीक किया हुआ स्वीकृत नहीं होगा।
14.	दर देने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें एवं समस्त पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करें एवं निविदा की दर स्याही से लिखें।
15.	ठेकेदार अथवा उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा। किसी भी शर्त को कम करके या नई शर्तें बढ़ाने का पूर्व अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनु0 को होगा। जिसकी लिखित सूचना निविदादाता को दे दी जायेगी।
16.	विवरणीका के अनुसार कृषि कार्य फार्म प्रबन्धक की देखरेख में ही होगा।
17.	सिंचाई हेतु जल आपूर्ति ठेकेदार को फसल में बताए समयानुसार करनी होगी एवं आवश्यक हुआ तो रात्रि में भी करनी होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञा से कार्य की समयावधि घटाई बढ़ाई जा सकती है।
18.	किसी भी प्रकार के कार्य संबंधि विवाद की स्थिति में फार्म प्रभारी/प्रबन्धक को निर्णय का पूरा पूरा अधिकार होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।
19.	किसी भी शर्त का पूर्णतया पालन न होने पर निविदा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, ऐसी स्थिति में धरोहर राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी, सीकर को होगा व दूसरी न्यूनतम निविदा को अनुमोदित करने का अधिकार होगा।
20.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर-शेखावाटी को होगा।
21.	बीज उत्पादित फसलों में आवारा पशुओं द्वारा नुकसान न हो इस हेतु निगरानी दिन व रात में करनी होगी। अनुमानित हिस्सेदारी से कम हिस्सेदारी पाये जाने पर ठेकेदार की निविदा निरस्त की जा सकती है।
22.	धरोहर राशि कुल लागत का 5% (रु.7500/-) जिसमें 2%(रु.3000/-) निविदा प्रपत्र जमा कराने के साथ तथा शेष 3% (रु.4500/-) पक्ष में निविदा छूटने पर जमा करवानी होगी।

<p>मुझे निविदा की उपरोक्त समस्त शर्तें मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ।</p> <p>कोन्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर मय दिनांक</p> <p>नाम :-</p> <p>पता:-</p> <p>मो0 न0:-</p>	<p>क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, के हस्ताक्षर मय सील</p>	<p>कमेटी सदस्य मय हस्ताक्षर</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6.
--	---	--